30/2014 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A11 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 30/14

कुलवन्तसिंह पुत्र शेरसिंह जाति रामगढिया सिख सा0 12 एफ मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. पंचायत समिति, श्री गंगानगर द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री गंगानगर।
2. जिला परिषद, श्री गंगानगर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री गंगानगर।
3. ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. अग्रेंजसिंह पुत्र स्व0 रामसिंह जाति रामगढिया निवासी मिर्जेवाला तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

गैर निगरानीकर्त्ता

निगरानी विरूद्व आदेश जिला परिषद, श्री गंगानगर दिनांक 18-03-2013, विकास अधिकारी, पं0 स0 श्रीगंगानगर दिनांक 11-2-13 व ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 29-4-14

उपस्थित : 1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता।
2. श्री गुरप्रीतसिंह सिधू, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 4
3. राजकीय अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1व 2

आदेश **दिनांक : 12-11-2016**

पत्रावली लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके सुसंगत संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता मय परिवार के 12 एफ बड़ा मिर्जेवाला का पुराना निवासी है तथा सन् 1946 से पूर्व का रहने वाला है। गॉव की आबादी में अहाता सं0 222 कालान्तर में तुलछाराम पुत्र खुमानाराम का था तथा उसने इसका बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 10-9-46 को सन्तासिंह को कर दिया तथा सन्तासिंह ने इसका बेचान निगरानीकर्ता को कर दिया। इसके साथ अहाता नं0 221 रामसिंह का लगता है जिसने अपने अहाता का गेट गलत तौर से गौशा में यानि अहाता सं0 221 के पश्चिम में निकाल लिया तथा इस प्रकार उसने गौशा पर कब्जा करके आवागमन बाधित करने का प्रयास किया है। निगरानीकर्ता को अनुचित हानि पहुॅचाने के प्रयास में ग्राम पंचायत ने गलत तौर से अहाता सं0 222 के कुछ भाग 18 गुणा 20 फुट से बेदखल करने का प्रयास किया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

तो निगरानीकर्ता ने एक अपील पंचायत समिति, श्री गंगानगर के समक्ष पेश की तथा आदेश कमांक 4461 दिनांक 19–9–11 पारित किया गया व इसी सन्दर्भ में प्रशासन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 16–9–11 पारित किया गया तथा पंचायत के आदेश दिनांक 21–11–11 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही की गई। जिला परिषद द्वारा दिनांक 18–3–13 को आदेश पारित किया गया। राज0 उच्च न्यायालय में रिट सं0 3656/13 पेश की गई तथा इसमें दिनांक 21–3–14 को आदेश देते हुए निगरानी पेश करने की अनुमति दी गई। इस पर पंचायत ने दिनांक 29–4–14 को पत्र भेजा व बेदखल करने की कार्यवाही का लिखा। अहाता सं0 222 के दक्षिण पश्चिमी भाग में बने 18 गुणा 20 फुट के कमरे को अतिक्रमण कह कर कार्यवाही की जा रही है,। असल में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। पुराना कब्जा होने से नियमन योग्य है। पंचायत समिति का आदेश, जिला परिषद का आदेश ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 29–4–14 में मर्ज हो चुके हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

ग्राम पंचायत मिर्जेवाला का निगरानी से संबंधित रेकार्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए कहा है कि गॉव की आबादी में अहाता सं0 222 कालान्तर में तुलछाराम पुत्र खुमानाराम का था तथा उसने इसका बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 10–9–46 को सन्तासिंह को कर दिया तथा सन्तासिंह ने इसका बेचान निगरानीकर्ता को कर दिया। इसके साथ अहाता नं0 221 रामसिंह का लगता है जिसने अपने अहाता का गेट गलत तौर से गौशा में यानि अहाता सं0 221 के पश्चिम में निकाल लिया तथा इस प्रकार उसने गौशा पर कब्जा करके आवागमन बाधित करने का प्रयास किया है। अहाता सं0 222 के कुछ भाग 18 गुणा 20 फुट से बेदखल करने का प्रयास किया तो निगरानीकर्ता ने एक अपील पंचायत समिति, श्री गंगानगर के समक्ष पेश की तथा आदेश कमांक 4461 दिनांक 19–9–11 पारित किया गया व इसी सन्दर्भ में प्रशासन कमेटी द्वारा आदेश दिनांक 16–9–11 पारित किया गया तथा पंचायत के आदेश दिनांक 21–11–11 के सन्दर्भ में विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा कार्यवाही की गई। जिला परिषद द्वारा दिनांक 18–3–13 को आदेश पारित किया गया। राज0 उच्च न्यायालय में रिट सं0 3656/13 पेश की गई तथा इसमें दिनांक 21–3–14 को आदेश देते हुए निगरानी पेश करने की अनुमति दी गई। ग्राम पंचायत ने दिनांक 29–4–14 को पत्र भेज कर बेदखल करने की कार्यवाही का लिखा। अहाता सं0 222 के दक्षिण पश्चिमी भाग में बने 18 गुणा 20 फुट के कमरे को अतिक्रमण कह कर कार्यवाही की जा रही है। असल में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। पुराना कब्जा होने से नियमन योग्य है। पंचायत समिति का आदेश, जिला परिषद का आदेश ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 29–4–14 में मर्ज हो चुके हैं। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि ग्राम पंचायत का निगरानीकृत आदेश विधिसम्मत् है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अप्रार्थी सं0 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि निगरानीकर्ता ने गौशा के भाग पर 18 गुणा 20 फुट के कमरे का निर्माण कर लिया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। सार्वजनिक चौक, गली आम, जोहड़ पायतन की भूमि एवं गौशा की भूमि को आवंटन/नियमन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में निगरानीकर्ता को कहीं से अनुतोष नहीं मिला है। ग्राम पंचायत का आदेश विधिसम्मत् है। अतः निगरानी खारिज की जानी चाहिये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

ग्राम पंचायत ने अपने पत्र क्रमांक 15 दिनांक 12–2–16 द्वारा अवगत कराया है कि चक 12 एफ बड़ा के अहाता सं0 222 के कुछ भाग का कब्जा 18 गुणा 20 फुट का आदेश पारित किया गया है, से संबंधित रेकार्ड न्यायालय द्वारा चाहा गया है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन पूर्व सचिव के कार्यकाल में पत्र क्रमांक 307 दिनांक 27–5–14 पत्र/रिपोर्ट की फोटो कोपी संलग्न है। पुराना व कटा फटा खसरा रजिस्टर व कपड़े का नक्शा जमा कराने की स्थिति में न होने के कारण प्रमाणित प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त खसरा आबादी रजिस्टर की फोटो प्रति के अनुसार अहाता सं0 222 सन्तासिंह को बैय किया गया है, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 10–9–46 को सब रजिस्ट्रार द्वारा तस्दीक हो चुकी है। खसरा रजिस्टर में यह इन्द्राज दिनांक 18–9–46 को पंचायत द्वारा किया गया है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक पसगं/संस्था/2011–12/3142 दिनांक 16–8–11 द्वारा प्लाट सं0 220–221–222 की पैमायश संबंध प्रकरण सं0 2011/1062 दिनांक 12–7–11 एवं 2011/1087 दिनांक 13–7–11 के निस्तारण हेतु कमेटी का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। जॉच कमेटी द्वारा रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अहाता सं0 222 में 20 गुणा 18 फुट का एक कमरा पूर्णतया गली मेंबना हुआ है, जो अनाधिकृत कब्जा है। अहाता सं0 221 की पश्चिमी दिवास 130 फीट होनी चाहिये परन्तु मौके पर 133.6 फीट है। अतः 3.5 फीट अनाधिकृत कब्जा है। अहाता सं0 220 जिसका कुछ हिस्सा 221 के मालिक के पास है। अतः अहाता सं0 220 जो नक्शा में दिखाया गया है कि पूर्वी दिवार 100 फीट होनी चाहिये, लेकिन मौके पर 102.6 फीट है। अतः 2. 2 फीट अनाधिकृत कब्जा है। दिनांक 19–9–11 को विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 4461 से सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला को आदेश दिया गया है कि अहाता सं0 220–221–222 के मालिकों द्वारा गली व गौशा मेंअतिक्रमण किया गया बताया है। अतः अतिक्रमण को हटाकर इस कार्यालय को सूचित करें। निगरानीकृत आदेश दिनांक 18–3–13 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्री गंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक जिपग/पंचायत/13/1075–81 दिनांक 18–3–13 द्वारा परिवादी – निगरानीकर्ता द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई थी, को निरस्त कर विकास

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

30
2014 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

AII
4

अधिकारी को प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29–9–14 को अतिक्रमण हटाने के संबंध में विधिसम्मत् नोटिस भी जारी किया गया है।

इस प्रकार, कमेटी द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट से अहाता सं0 220–221एवं 222 में अतिक्रमण पाया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्री गंगागनर के निगरानीकृत आदेश 18–3–13 में वर्णितानुसार परिवादी – निगरानीकर्ता की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता अतिक्रमी होने पर किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। मेरे विनम्र मत में निगरानीकृत आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)